27/12/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं 5 व 13 कि तामील जरिए तकिया भेजी गई थी उसके पश्चात तामील रजिस्ट्री भेजी गई थी उसके पश्चात तामील सम्यक रूप से होने के बावजूद भी अप्रार्थी सं 5 व 13 ना तो स्वयं उपस्थित हुए एवं ना ही इनकी ओर से कोई उपस्थित हुआ। बार-बार आवाज दिलाई जाने के बावजूद भी कोई उपस्थित नही हुआ। अत: अप्रार्थी सं 5 व 13 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी। आज भी अप्रार्थीगण में कोई उपस्थित हुआ है। वकील प्रार्थी को सुना गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अप्रार्थीगण कि ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। इस आधार पर प्रार्थना पत्र वाजदावी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वाजदावी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। तथा प्रार्थना पत्र से सम्बंधित मूल अपील पत्रावली पुन: नम्बर पर ली जाने के आदेश दिए जाते है। मूल पत्रावली पुन: दर्ज रजिस्टर कि जाकर नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के संलग्न की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.02 11:30:33 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

Scanned with CamScanner